संख्या ——— /xxiv–4/2016–6(8) 2011

प्रेषक,

धीरेन्द्र सिंह दताल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2016

विषय:– श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, रूड़की,जनपद–हरिद्वार को वर्ष 2016–17 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन स्तर पर सम्यक विचारोंपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–134/xxiv–4/2016–6(33)/2014 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में दिये गये मानकों/शर्तो के अधीन श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, रूड़की, जनपद–हरिद्वार को वर्ष 2016–17 से पूर्ण वेतन अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त विद्यालय द्वारा अनुदान सूची/वेतन अनुदान से सम्बन्धित समस्त मानकों/शर्तो की पूर्ति की गयी है।

3– शासनादेश संख्या–1657/xxiv–4/2016–6(33)/2015 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 में इण्टरमीडिएट स्तर के क्रमांक–3 पर अंकित उक्त विद्यालय को दिया गया प्रोत्साहन के रूप में टोकन अनुदान निरस्त समझा जाय।

4– यह आदेश रिट याचिका संख्या–99/(पी0आई0एल0)/2015 श्री बाबूराम रवि बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय के अधीन रहेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–238 (P)/XXVII (3) 2016–17 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।

संख्या 3032 (1)/xxiv–4/2016–6(8) 2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार।
4– सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
5– मण्डलीय अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद हरिद्वार।
7– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– सम्बन्धित विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
9– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।